



नम्रता सिंह

**कामकाजी महिलाओं की भूमिका संघर्ष के बीच
सशक्तिकरण अधिकार : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन**
शोध अध्येत्री- समाजशास्त्र विभाग, कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातक महाविद्यालय,
बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0) भारत

Received-12.06.2022, Revised-18.06.2022, Accepted-22.06.2022 E-mail: quinsingh1@gmail.com

साक्षरता:— आज के बदलते युग में मजदूर महिलायें सड़को पर मुट्ठी बौंधकर आक्रोश के साथ मंचों पर अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने में सक्षम हैं। एक प्रस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है, वह उस पद की भूमिका है। कामकाजी महिलाओं की विविध भूमिका का निर्वाह उन्हें कम या अधिक भूमिका संघर्ष की स्थिति में ला देता है। जैसे उनके पारिवारिक व वैवाहिक जीवन, सन्तान सम्बन्धी भूमिका संघर्ष की स्थिति में ला देता है, जैसे उनके पारिवारिक वैवाहिक जीवन सन्तान सम्बन्धी एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी दायित्व, निजी नौकरी एवं कामकाज के श्रोत प्रभावित होते हैं। महिलाये कामकाजी हों तो उसका लाभ उन्हें स्वयं को प्राप्त होता है साथ ही पुरुषों की चिन्तार्ये भी कम हो जाती है और पारिवारिक आय पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। बच्चों को अच्छी व उच्च शिक्षा के साधन प्राप्त होते हैं। तथा महिलाओं की वृद्धावस्था की परेशानियों भी दूर हो जाती है। सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुये महिलाओं को अपने समय पर उचित प्रबन्धन भी करना होता है जिसके बिना वे अपने किसी कार्य को सरलता पूर्वक कर नहीं सकती। कामकाजी होने के कारण उन्हें प्रत्येक कार्य पर विचार करना पड़ता है कि कौन सा कार्य कैसे, क्या, कब करें। महिलाये एक ही समय में कई प्रकार के कार्यों का अपने समय के साथ प्रबन्धन कर लेती हैं। पारिवारिक सामाजिक एवं कामकाजी जीवन में विभिन्न चुनौतियों व तनावों का सामना करते हुये कामकाजी महिलाये अपने कार्यों पर ध्यान केन्द्रित कर सभी कार्य करने के लिये उचित समय प्रबन्धन करा के अपने परिवार की और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। जब वह अपनी विविध भूमिका में वे असमायोजन एवं अन्तर्द्वन्द महसूस करती है, तो कामकाजी महिलाओ की भूमिका संघर्ष की स्थिति से गुजरना पड़ता है।

कुंजीशूत शब्द— प्रस्थिति, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आय, प्रबन्धन, संस्थान, भूमिका, नौकरी, सामाजिक, कृषि, खेतीहर।

प्राचीन समय में महिलाओं को घर के बाहर काम करने के लिये जाने नहीं दिया जाता था, उसका मूल कार्य घर में रह कर घर के काम काज करना था। महिलायें चूल्हों पर भोजन पकाती थी तथा सामान्य रूप से संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। परिवार बड़ा होने के कारण प्रायः छोटे- बड़े सभी कार्य घर की महिलाओं को ही करने होते थे।

भारतीय समाजिक संरचना पुरुष प्रधान है। पुरुष घर से बाहर काम करने जाते हैं एवं महिलाये अपने घरेलू कार्य को सम्भालने में लगी रहती है। बच्चों का पालन पोषण एवं परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना उनका मुख्य कार्य है। आर्थिक उपार्जन उनका कार्य क्षेत्र नहीं रहा है। यद्यपि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्राचीन काल से ही महिलायें प्रकृति प्रस्त वस्तुओं एवं कृषि कार्य में संलग्न रही है। आधुनिक युग में महिलायें कामकाजी होने के साथ – साथ सफल गृहिणी भी सिद्ध हो रही है लेकिन कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा कि महिलाये किस प्रकार सभी कार्यों का समायोजन करती होंगी। वर्तमान युग में कामकाजी महिलाये बदलते हुये वैश्विक दौर में समय के साथ बदलते परिवेश के साथ अपना सामंजस्य करने में सक्षम हो रही हैं। सरकारी या निजी कार्यस्थल व घर के काम में अपने प्रबन्धन की भूमिका बखूबी से निभाती हैं।

धीरे- धीरे शिक्षा का विकास होने लगा, नवीन तकनीकी प्रकाश से पुरुषों के समान प्रत्येक क्षेत्र में महिलायें भी आगे आने लगीं। भारत में औसतन प्रत्येक घर की महिलाये घर के बाहर या घर पर कुछ न कुछ आय अर्जन करने में लगी है। साथ- साथ अपने निजी जीवन को भी गतिशील रखने में प्रयास करती है। कामकाजी महिलाये अपने परिवार और अपने भविष्य को संवारने के लिये कार्य करती है। इतनी महँगाई के युग में केवल घर के पुरुष की आय पर ही निर्भर रहना और उस पर खर्च का बोझ लादना अकेले बैल से खेत जुतवाने के समान है।

वर्तमान में महिला शिक्षा के बढ़ते प्रभाव में क्रमशः 2001 से 2011 में भारत में महिला साक्षरता 64.6 प्रतिशत रही है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 57.9 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 79.1 प्रतिशत रही है। महिला शिक्षा के बढ़ते स्तर में महिलाओ को कामकाजी होने की प्रेरण दी। फलतः उनकी प्रवृत्ति कामकाजी हो गई है। आज वे विविध भूमिका का निर्वाह कर रही है। आज वे सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान पदों पर आसीन है। राजनीतिक सत्ता का क्षेत्र हो या आई0 ए0 एस0 आफिसर की कुर्सी, अभिनय की अभिव्यक्ति हो या नृत्यांगना का नृत्य, साहित्य का क्षेत्र, ललित कला, आँगन, राग रागिनीयों की सरगम हो या चित्रकारी, चिकित्सक या कानूनी सनाहकार प्रशासन का क्षेत्र हो या शिक्षिका, प्रोफेसर का दायित्व, ज्ञान विज्ञान हो या कलात्मक प्रस्तुति



महिलाओं के कामकाज का विस्तार सभी क्षेत्रों में हुआ है। कामकाजी महिलायें अपनी योग्यता से न केवल धन अर्जित करती हैं अपितु वे अर्जित धन से पारिवारिक आर्थिक संरचना में अपना योगदान कर आर्थिक संबल प्रदान करती हैं। महिलाओं का उपार्जन आर्थिक क्षेत्र में उनकी आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है।

प्रस्तुत शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य कामकाजी महिलाओं की भूमिका संघर्ष और प्रबन्ध का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है।

उद्देश्य-

1. कामकाजी महिलाओं के कामकाजी और निजी जीवन में समायोजन की स्थिति ज्ञात करना ।
2. कामकाजी महिलायें संयुक्त/एकल परिवार में भूमिका संघर्ष को ज्ञात करना।
3. कामकाजी महिलाओं के कानूनी अधिकार को ज्ञात करना।
4. कामकाजी महिलाओं की व्यवसायिक भूमिका का मूल्यांकन करना।
5. महिला सशक्तिकरण के उपायो/निराकरण के सुझाव को अवगत करना।

अध्ययन विधि- द्वितीयक सयंको का स्रोत सेन्सस आफ इन्डिया, संख्यिकी विभाग, इंटरनेट, जर्नल, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित आंकड़ों का विश्लेषण करना।

साहित्य समीक्षा- सत्यशील अग्रवाल 2016 – “भारतीय कामकाजी महिलाओं की समस्याओं “ ने बताया कि भारत में महिलाओं में शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के कारण प्रसव के दौरान उन्हे जीवन गवॉना पड़ता है, अर्थात – महिलाओं की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है रचनाकार 2015 – “भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति की सामाजिक विवेचना “ ने अपने लेख में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक स्थिति की मुख्य धारा में लाने के लिये उनकी सोच में मूलभूत परिवर्तन, आत्म निर्भरता और स्वावलम्बन की आवश्यकता है”। मोनिका देव 2014- “भारत में असंगठित क्षेत्र में महिला श्रमिकों की स्थिति” शोध में बुनियादी ढांचा, गरीबी उन्मूलन, कौशल विकास और स्वास्थ्य सुविधा में वैश्वीकरण के साथ जोड़ना है।

कामकाजी महिलाओं की भूमिका- कामकाजी महिलायें उच्च जीवन स्तर एवं अपने जीवन से सन्तुष्ट होती हैं। उन्हे न संकट का सामना करना पड़ता है और न किसी प्रकार के वे मानसिक दबाव से मुक्त होती हैं। यह एक भ्रमपूर्ण धारणा है। जीवन में किसी भी पहलू का वर्तमान भौतिक, सामाजिक- सांस्कृतिक में कोई न कोई ऐसी स्थिति बनती है जहाँ उन्हे भूमिका संघर्ष का सामना करना पड़ता है। भूमिका संघर्ष थोड़ी मात्रा में हो या अधिक मात्रा में किन्तु वह कामकाजी महिलाओं के जीवन से जुड़ा होता ही है। कोई भी व्यक्ति अपनी भूमिका निर्वाह में परिपूर्ण नहीं होता। काम के दौरान कुछ न कुछ ऐसा घट ही जाता है कि कुछ काम ऐसे ही आसानी से हो जाते हैं और कुछ उपेक्षित रह जाते हैं जिन्हे पूर्ण करना भी उनके लिये आवश्यक होता है। उन्हे अपनी भूमिका में इस संघर्ष से गुजरना पड़ता है कि वे कौन सा कार्य पहले करें और कौन सा बाद में। महिलाओं में प्रायः यह माना जाता है कि पद पर आसीन कामकाजी महिलायें सूख सम्पत्ति की स्वामिनी होती हैं। कामकाजी महिलाओं का कामकाजी होना उनके लिये सदैव प्रसन्नता का विषय नहीं होता है। कार्य क्षेत्र का दायित्व घर में परिवार एवं बच्चों के दायित्व के साथ कामकाजी महिलाओं पर अनेक दायित्व भी होते हैं।

कामकाजी महिलाओं की स्थिति- भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही हैं। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक उनकी स्थिति में निरन्तर उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। उनके अधिकारों में तदनु रूप बदलाव भी होते रहे हैं आधुनिक काल में नारी को समाज में विशेष स्थान प्राप्त है। महिलायें राजनीतिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक कार्यों और सामाजिक विकास की दृष्टि से समाज में सम्मानित और प्रतिष्ठित स्थानों में कामकाजी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।

भारत में सन् 1951 से 2011 के बीच 70 वर्षों में महिलाओं की स्थिति में युगान्तरकारी परिवर्तन आया है। इस समय स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ। स्त्रियों ने बुनियादी शिक्षा के साथ- साथ व्यवसायिक शिक्षा को भी ग्रहण किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत 65.46 तथा पुरुषों में 82.14 है। जिससे पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि कुरीतियों का प्रचलन कम हुआ है और सामाजिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता में निरन्तर वृद्धि हुई है।

कामकाजी महिलाओं के कानूनी अधिकार- महिला की सुदृढ़ सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत एवं मजबूत समाज का द्योतक है। भारती संविधान में महिलाओं को पूर्ण समानता प्रदान करता है। संविधान में भाग-3 के अन्तर्गत ‘मूल अधिकारों’ के रूप में भी महिलाओं को मानव अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 में प्रत्येक नागरिक महिला एवं पुरुष को विधि के समक्ष संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 3 महिलाओं को राज्य के पक्ष में सकारात्मक कदम उठाने का अधिकार अनुच्छेद 16 के आधार पर महिलाओं को लोक नियोजन में समान अवसर प्राप्त है। अनुच्छेद 24 मानव दुर्व्यवहार बलात्



श्रम तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। संविधान के भाग 4 में राज्य द्वारा अनुशरणीय नीति निर्देशक में स्त्री पुरुष को समानता प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 39 जीविकोपार्जन के समान अधिकार तथा समान कार्य के समान वेतन का प्रवधान करता है अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत तथा प्रसूति सहायता का उपबन्ध है। अनुच्छेद 43 में न्यूनतम मजदूरी का प्रवधान है तथा महिलाओं में अधिकार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद मूल कर्तव्यों के प्रवधानों में नागरिक का कर्तव्य है कि महिला का सम्मान करें। यथा अनु0 325 एवं 326 सभी नागरिक को महिला एवं पुरुष दोनों की वयस्क मताधिकार में लिंग भेद का निषेध करते हैं। भारत में विधि शासन के अनुसार महिलाओं के प्रतिनिधित्व के आधार पर संविधान में 33 प्रतिशत महिला प्रतिधित्व की व्यवस्था की गई है। उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त प्रदन्त विधियों द्वारा महिला अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया यथा कारखाना अधिनियम 1948 संशोधित 2003 के अनुसार महिला कार्यकारों के लिये अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिये। तथा 30 महिला कामगारों पर कार्यस्थल पर 6 वर्ष की कम आयु के बच्चों हेतु पालनगृह की सुविधा होनी चाहिये।

मातृत्व लाभ अधिनियम 1956 संशोधित 2017- के तहत प्रत्येक महिला श्रामिक काल में 22 सप्ताह तक संवैधानिक अवकाश प्राप्त करने की अधिकारिणी है। प्रसूति प्रासुविधा अधिनियम 1961 संशोधित 1996- के अन्तर्गत संगठित क्षेत्र में नियोक्ता द्वारा गर्भधारण के चिकित्सकीय समापन, नसबन्दी तथा गर्भधारण के कारण होने वाली बीमारी की स्थिति में मजदूरी सहित छुट्टी का प्रवधान है। समान परिश्रमिक 1976 संशोधित 1987- के तहत महिला कामकारों के समान कार्य के लिये पुरुषों के समान वेतन दिये जाने का प्रावधान है।

बन्धित श्रम पद्यति उत्पादन अधिनियम 1976- के अन्तर्गत पुरुषों और महिलाओं को सभी बन्धित श्रम पद्यति के उत्पादन परिणाम स्वरूप बन्धुवा मजदूरी की दासता से मुक्ति का प्रवधान है। इसके तहत पीड़ित व्यक्तियों के वांक्षित ऋण और पुनर्वास के लिये सहायता का भी उपबन्ध है।

अन्तराज्यीक प्रवासी कामगारों नियोजन का विनियम और सेवा शर्त अधिनियम 1979- के तहत असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के परिकल्पित संरक्षी उपायों में विस्थापन, भत्तो का भुगतान, मजदूरी दर, कपडे धेने व शौचालय की पृथक व्यवस्था, समान वेतन, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा इत्यादि उपलब्ध कराने का प्रवधान है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के प्रमुख प्रावधान है प्रास्तावित अधिनियम घरेलू नौरानी के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं पर भी लागू होगा। कानून के अन्तर्गत कार्यस्थल पर लैंगिक टिप्पणी या किसी भी तरह से शारीरिक लाभ उठाने अथवा गलत तरीके से छूने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। 10 या उससे अधिक कर्मचारी वाले संगठन में आन्तरिक शिकायत समिति बनाने का प्रावधान है अन्यथा नियोक्ता पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया जायेगा।

निष्कर्ष- भारत सरकार, राज्य सरकारों, स्वयं सेवी संगठन एवं महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के प्रयासों और आधुनिक शिक्षा पद्यति एवं नई चिन्तन शैलियों के फलस्वरूप कामकाजी महिलाओं की स्थिति संघर्ष के बढ़ते प्रभाव से महिला सषक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ें हैं।

महिलाओं में ब्याप्त अशिक्षा अधिकारों के प्रति उदासीनता अज्ञानता आदि प्रमुख चुनौतियाँ हैं। मुख्य कार्यशील महिला जनसंख्या में ग्रामीण क्षेत्र में जिले की भागीदारी में बढ़ोत्तरी का कारण प्रथमिक क्षेत्र में जुड़ाव, रोजगार से कहीं न कहीं जुड़े रहना है। अकार्यशील में शहरी क्षेत्र में प्रतिशत अधिक रहा है। जहाँ पर रुढ़िवादिता, दुष्प्रभाव व घरेलू कार्य में अधिक संख्या है। महिलाओं का पारिवारिक उद्योगों में कम भागीदारी से स्वरोजगार में कमी रही है। संवैधानिक अधिकारों के कानूनों की जानकारी के अभाव में महिला शोषण को बढ़ावा मिलता है। इस तरह महिला कास्तकारों, शिल्पकारों, कामगारों यहाँ तक की लघु उद्यमियों की सुविधाओं एवं विकास के अवसरों में कटौती स्पष्ट दिखती है। एक और गुणवत्ता की दौड़ में महिलाओं को अतिरिक्त आर्थिक एवं मानसिक दबाव बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर कार्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में कमी रहने से असन्तुष्टि पैदा होती है।

उपाय/सुधाव - अनेक कानूनी प्रावधानों, अधिकारों के बावजूद भी कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ अपनी जगह साफ दिखाई देती हैं। इस स्थिति के लिये तथा इन विषम परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने के हेतु कुछ सुझाव इस प्रकार हैं।

- 1- भारत में 2011 की जनगणना में महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत 65.46 तथा पुरुषों में 82.14 प्रतिशत है। अशिक्षा के परिणाम स्वरूप महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। अतः इसके लिये स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- 2- समाज में महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जाने चाहिये। कौशल प्रशिक्षण के बाद ऋण सहायता प्रदान करनी चाहिये।



- 3- महिलाओं की सामाजिक जीवन में सहभागिता बढ़ाने और उनके सर्वांगिक विकास के लिये आवश्यक है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मूलाधिकारों का ढंग से गठित कर कार्यस्थलो मे पृथक प्रकोष्ठ में महिला कर्मियों की नियुक्ति की जानी चाहिये।
- 4- सर्वजनिक स्तर से सम्बन्धित नीतियों में महिलाओ की भागीदारी को बढ़ाना चाहिये ताकि महिलाओं की सुरक्षा रोजगार शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को पहचाना जा सके।
- 5-महिलाओं के विभिन्न अधिकारों की प्राप्ति हेतु सम्बन्धित न्यायिक प्राक्रिया को अधिक सरल शीघ्रगामी तथा अल्पव्ययी बनाया जाये ताकि उसका लाभ महिलाओं को आसानी से उपलब्ध हो सके।
- 6- महिला सशक्तिकरण की दिशा मे नये परिदृष्य में सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाये ताकि वे अपने कामकाज के दौरान आने वाली समस्याओं को भली भाँति पहचानने में मदद मिल सके
- 7- कामकाजी महिलाओं विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र में कृषि काय से जुड़े एवं स्वरामजगार, आधारित योजनाओ को ग्रामीण क्षेत्र पर ट्रेनिंग सेन्टर खोलने चाहिये।
- 8- कामकाजी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का सरकारी स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्रों या निजी क्षेत्र उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाये ताकि वह अपनी सुरक्षा तथा कार्य के प्रति अधिक जुड़ाव को बढ़ाया जा सके।
- 9- ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की स्वास्थ्य सुविधा आधारित तकनीकी संचार से सुविधा का लाभ उठाया जा सके ताकि स्वास्थ्य सुविधाओ से कामकाजी महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भल्ला, एल.आर. राजस्थान का भूगोल कुलदीप पब्लिशिंग हाउस 2015 पृष्ठ-1.
2. डा० वसु 'डी. डी.' भारत का संविधान एक परिचय Lixis Nexis Publication रु 10वाँ संस्करण 2013, हरियाणा पुष्ठ 321.
3. उपरोक्त पृष्ठ 27-40
4. गुप्ता, पंकज, मानवाधिकार और महिलाये, साहित्यगार प्रकाशन जयपुर 2014 पुष्ठ 152- 156.
5. राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर उदयपुर संस्करण 22 मार्च 2017 पृष्ठ - 2.
6. गुप्ता, सुभाषचन्द्र कार्यशील महिलाये एवं भरती समाज, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली 2004.
7. गौड़ संजय, आधुनिक महिलाये और समाज उत्पीड़न, अत्याचार व अधिकार बुक इनक्लेब, जयपुर, प्रथम संस्करण 2006.
8. डा० सहारिया, फूलसिंह वर्मा, देशराज, महिला सशक्तिकरण : यथार्थ एवं आदर्श बाबा पब्लिकेशन, जयपुर प्रथम संस्करण 2018.
9. जनगणना सेन्सस ऑफ इन्डिया 1981, 1991, 2001, 2011.
